न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।

पीठासीनः परविन्द कुमार, उ0प्र0 ''उच्चतर न्यायिक सेवा''

फौजदारी निगरानी सं0 34/2023

CNR NO.UPAN010004262023

Criminal Revision/35/2023

1. पूनम आयु लगभग 42 साल पत्नी वेदप्रकाश,
2. वेदप्रकाश आयु लगभग 46 साल पुत्र स्व0 रामनरेरश

——— पुनरीक्षणकर्तागण।

बनाम

1. नरेन्द्र देव दूबे आयु लगभग 48 साल पुत्र रामवंश दूबे निवासी ग्राम महमदपुर, पदारथ, जिला– अम्बेडकर नगर।
2. राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय अम्बेडकर नगर।

———प्रत्यर्थीगण।

निगरानी अंतर्गत धारा 397 दं0प्र0सं0
थाना बसखारी, जनपद–अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका, परिवाद सं0 2111/2022, नरेन्द्र देव दूबे बनाम वेदप्रकाश आदि, थाना बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर में विद्वान तृतीय अपर सिविल जज जू0डि0/जे0एम0, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आलोच्य तलबी आदेश दिनांकित 16.12.2022 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से निगरानीकर्तागण को विचारण हेतु तलब किया गया।

2. आधार निगरानीः–

अ. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2022 को प्रश्नगत आदेश पारित करते समय परिवाद में अंकित कथन को सही ढंग से सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया है, मात्र सरसरी तौर पर मनमाने ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः गैर –कानूनी होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

ब. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2022 को आदेश पारित करते समय पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किये बगैर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है।

स. परिवादी का बयान व साक्षियों का बयान आपस में विरोधाभासी है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली का सूक्ष्म परिशीलन नहीं किया गया जो नियमों के विपरीत आदेश पारित किया है।

द. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का सम्पूर्ण कथन बिल्कुल सिविल प्रकृति का है जो आपराधिक मामलों में परिवर्तित करके निगरानीकर्तागण के विरूद्ध दबाव बनाने की नीयत से मुकदमा चलाना चाहते है जबकि अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में साक्षी रोहित दूबे का बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं है जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सही ढंग से पत्रावली का परिशीलन न करके प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.12.2022 पारित करके

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.08 16:42:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

महान भूल किया है।

य. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय बिना प्रारम्भिक जांच किये निगरानीकर्तागण को सरसरी तौर पर समनिंग आदेश पारित करके विद्वान अवर न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है।

3. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अपने कथन के समर्थन नकल आदेश दिनांकित 16.12.2022, साक्षी रोहित दूबे के बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 की प्रमाणित प्रति व आधार कार्ड आदि प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

4. सुनवाई के समय अवर न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध है। जिसमें परिवादी के परिवाद पत्र में संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि, ''दिनांक 29.11.2020 को समय करीब 04:00 बजे शाम जब प्रार्थी अपने खेत पर गया हुआ था तो प्रार्थी के सगे पट्टीदार वेदप्रकाश व उनकी पत्नी पूनम जो प्रार्थी के बगल के खेत वाले है। प्रार्थी की मेड़ काट कर अपने खेत में मिला रहे थे। ऐसा करता देख कर प्रार्थी ने विपक्षीगण को मेड़ काटने से मना किया तो पूनम प्रार्थी का कालर पकड़ कर मां–बहन की भद्दी–2 गालियां देते हुए आमादा फौजदारी हो गयी और विपक्षी वेदप्रकाश अपने हाथ में लिये हुए कुदाल के पासे से प्रार्थी को जान से मारने की नियत से प्रार्थी के सिर पर प्रहार किया। लेकिन संयोगवश प्रार्थी का सिर हल गया और कुदाल का पासा प्रार्थी की पीठ में लगा यदि यही कुदाल का पास प्रार्थी के सिर में लगता तो प्रार्थी की मृत्यु निश्चित थी और विपक्षीगण का यही उद्देश्य भी था। प्रार्थी की पीठ में चोट लगने से प्रार्थी हल्ला गुहार करते हुए मुर्छित अवस्था में वहीं गिर पड़ा। मौके पर पहुंचे हुए लोगों ने बीच बचाव किया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए कह रहे थे कि अबकी बार बच गया दोबारा कभी मिलेगा तो नहीं बचने पायेगा। घटना की सूचना दूसरे दिन दिनांक 30.11.2020 को थाना बसखारी पर दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।''

5. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बिना गहनतापूर्वक अध्ययन किये सरसरी तौर पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए आदेश पारित किया गया है। जिसके बने रहने से पुनरीक्षणकर्तागण की अपूर्णनीय क्षति होगी।

6. प्रत्यर्थी सं01 जरिये वकालतनामा पत्रावली पर उपस्थित किन्तु आज कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं02 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिअनुसार आदेश पारित किया गया है।

7. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं0 2 उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अमित कपूर– प्रति– रमेश चन्दर एवं अन्य, 2012 (3) जे.आई.सी. 772 (एस.सी.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहां पर–

क. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है वह बिल्कुल गलत है।

ख. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है।

ग. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं।

घ. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया है एवं

ड. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया था।

9. इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विनय त्यागी– प्रति– इरशाद अली (2013) एस.सी.सी. 752** के मामले में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सामान्यतः पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार विधि के प्रश्न पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथापि यदि आक्षेपित आदेश में तथ्य संबंधी निष्कर्ष विकृत होना दर्शित होता है, तब ऐसी दशा में भी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया जाना अनुमन्य है, जिससे न्याय की विफलता उद्भूत न हो।

10. दं0प्र0सं0 की धारा **397** के अनुसार, परीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता, शुद्धता एवं औचित्य के बारे में कार्यवाहियों में अनियमितता का परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

11. उक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण की तरफ से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं0 2111/2022, नरेन्द्र देव दूबे बनाम वेदप्रकाश आदि में पारित तलबी आदेश दिनांकित 16.12.2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत फौ0 निगरानी सं0 34/2023 संस्थित की गयी।

12. अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को सुनवाई के उपरान्त परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है तदुपरान्त, प्रार्थी/परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दर्ज कर उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी0डब्लू01 रोहित दूबे व पी0डब्लू02 हर्ष मिश्र का बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है। परिवादी के अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं उसके साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किये गये में बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी साक्षीगण द्वारा घटना को पूर्णतः साबित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी एवं उसके साक्षीगण के बयानों के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 16.12.2022 के माध्यम से अभियुक्तगण वेदप्रकाश व पूनम को प्रस्तुत प्रकरण में विचारण हेतु तलब किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा तलबी आदेश दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी तथा उसके साक्षीगण के बयानों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया आधार पाते हुए अभियुक्तगण/निगरानीकर्तागण को अंतर्गत धारा 324,504,506 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया गया है। ऐसे में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा निगरानी में लिये गये आधारों के संबंध में कोई ऐसा प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे पुनरीक्षणकर्ता के कथनों को बल मिल सके।

13. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य का सम्यक् विश्लेषण व मूल्यांकन करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.12.2022 पारित किया गया है, जिसमें मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में कोई अवैधता, अशुद्धता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं हो रही है। तद्नुसार, प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त होने योग्य है।

आदेश

14. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सं0 34/2023, वेदप्रकाश आदि बनाम नरेन्द्र देव

दूबे आदि निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य तलबी आदेश पुष्ट किया जाता है।

15. सम्बन्धित दण्डवाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह अवर न्यायालय की पत्रावली को संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस कर दे। प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांकः 08.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर
I.D.No.UP01837

आज यह निर्णय/आदेश स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 08.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर
I.D.No.UP01837